



केंद्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
क्षेत्रीय कार्यालय/REGIONAL OFFICE
केंद्रीय विद्यालय क्र. 1, ए.एफ.एस कैम्पस, सेक्टर -14
KV No.1, AFS Campus, Sector-14
गुरुग्राम (हरियाणा)/Gurugram (Haryana)-122001
Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

फ.320345/2025-26/के.वि.सं(गुरुग्राम संभाग)/शैक्षिक/19478-31

दिनांक: 11.03.2026

प्राचार्या/प्राचार्य
सम्बन्धित केंद्रीय विद्यालय
अधीनस्थ गुरुग्राम संभाग

विषय: सीबीएसई की सम्बद्धता के विस्तार हेतु संभाग के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय को अनुमति देने के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पत्रांक CBSE/AFF./Notification/2026 दिनांक 26.02.2026 के अनुपालन में गुरुग्राम संभाग के अधीनस्थ निम्नलिखित केंद्रीय विद्यालय की सीबीएसई सम्बद्धता 31.03.2027 समाप्त हो रही है।

Sr. No.	Name of Vidyalaya	CBSE Affiliation Number	Valid upto (Date)
1	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्र.03 अम्बाला	500010	31/03/2027
2	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्र.04 अम्बाला	500014	31/03/2027
3	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भानु	500024	31/03/2027
4	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बुडायन	500032	31/03/2027
5	केंद्रीय विद्यालय गुडगाँव क्र. 02	500030	31/03/2027
6	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मथाना	500031	31/03/2027
7	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्र. 02 सिरसा	500022	31/03/2027
8	केंद्रीय विद्यालय चमेरा-II	600020	31/03/2027
9	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला	600005	31/03/2027
10	केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं	600024	31/03/2027
11	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कसौली	600010	31/03/2027
12	केंद्रीय विद्यालय मंडी	600012	31/03/2027
13	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पालमपुर	600003	31/03/2027
14	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संधोल	600026	31/03/2027
15	केंद्रीय विद्यालय सराहन	600016	31/03/2027
16	पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योल कैंट	600002	31/03/2027

इस के सम्बन्ध में संभाग के अंतर्गत उपरोक्त केंद्रीय विद्यालयों को सीबीएसई सम्बद्धता विस्तार के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है और सम्बन्धित प्राचार्या/प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय की सीबीएसई सम्बद्धता विस्तार करवाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(दीदार सिंह)
सहायक आयुक्त